रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99

REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 557] नई दिल्ली, मंगलवार, अक्तूबर 30, 2012/कार्तिक 8, 1934

No. 557] NEW DELHI, TUESDAY, OCTOBER 30, 2012/KARTIKA 8, 1934

भारतीय रिज़र्व बैंक

(विदेशी मुद्रा विभाग)

(केन्द्रीय कार्यालय)

अधिसूचना

मुंम्बई, 19 अक्तूबर, 2012

विदेशी मुद्रा प्रबंध (जमा) (संशोधन) विनियमावली, 2012

सा.का.नि. 798(अ).—विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम, 1999 (1999 का 42) की धारा 6 की उप-धारा (3) के खंड (एफ) और धारा 47 की उप-धारा 2 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारतीय रिज़र्व बैंक एतद्द्वारा विदेशी मुद्रा प्रबंध (जमा) विनियमावली, 2000 (3 मई, 2000 की अधिसूचना सं. फेमा. 5/2000-आरबी) (इसके बाद 'मूल विनियमावली' के रूप में उल्लिखित) में निम्नलिखित संशोधन करता है, अर्थात् :—

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ

(i) ये विनियम विदेशी मुद्रा प्रबंध (जमा) (संशोधन) विनियमावली, 2012 कहलाएंगे ।

(ii) ये विनियम 16 जुलाई 2012 से लागू समझे जायेंगे।@

2. विनियम 2 में संशोधन

विदेशी मुद्रा प्रबंध (जमा) विनियमावली, 2000 (3 मई 2000 की अधिसूचना सं.फेमा.5/2000-आरबी) में, विनियम 2 में, उप-विनियम (xii) के बाद, एक नया उप-विनियम जोड़ा जाएगा, अर्थात;

"(xiiए) अर्हताप्राप्त विदेशी निवेशक का अर्थ वही होगा जो विदेशी मुद्रा प्रबंध (भारत के बाहर के निवासी किसी व्यक्ति द्वारा प्रतिभूति का अंतरण अथवा निर्गम) विनियमावली, 2000 में दिया गया है;"

3. विनियम 5 में संशोधन

मूल विनियमावली में, विनियम 5 में, उप-विनियम (3) के बाद, एक नया उप-विनियम (4) जोड़ा जाएगा अर्थात:-

"(4) अर्हताप्राप्त विदेशी निवेशक (QFI) रिज़र्व बैंक द्वारा, समय समय पर, विनिर्दिष्ट पात्र प्रतिभूतियों की खरीद और बिक्री से संबंधित लेनदेनों की प्राप्ति और भुगतान के सीमित प्रयोग के लिए भारत में किसी प्राधिकृत व्यापारी के पास रिज़र्व बैंक की पूर्वानुमति के बिना अलग एकल (सिंगल) ब्याज रहित रुपया खाता निम्नलिखित शर्तों के तहत खोल सकता है:

(ए) खाते का निधीयन सामान्य बैंकिंग चैनल के जरिये विदेशी आवक विप्रेषणों और अर्हताप्राप्त विदेशी निवेशकों के लिए पात्र प्रतिभूतियों की बिक्री/मोचन/बाई-बैक आगम राशि (कर को घटाकर) और प्राप्त ब्याज/लाभांश के द्वारा किया जाएगा ।

(बी) इस खाते में जमा निधियों का उपयोग अर्हताप्राप्त विदेशी निवेशक के लिए पात्र प्रतिभूतियों की खरीद अथवा भारत से बाहर विप्रेषण (कर घटाकर) के लिये किया जाएगा ।

(सी) अर्हताप्राप्त निक्षेपागार सहभागी (मौजूदा सेबी विनियमों के अनुसार) अर्हताप्राप्त विदेशी निवेशकों के लिए उनके अनुदेश पर ऐसे ब्याज रहित रुपया खाते का परिचालन करेंगे ।

[सं. फेमा. 243/2012–आर बी]

रुद्र नारायण कर, मुख्य महाप्रबंधक

पाद टिप्पणी :—

i) @ यह स्पष्ट किया जाता है कि किसी व्यक्ति पर इन विनियमों के पूर्व प्रभाव से कोई प्रतिकूल प्रभाव नही पड़ेगा।

ii) मूल विनियमावली 5 मई 2000 के जीएस.आर.सं.388 (ई) के जरिये सरकारी राजपत्र के भाग II, खंड 3, उप-खंड (i) में प्रकाशित और तत्पश्चात् निम्नलिखित द्वारा संशोधित की गयी थी:

ए) 09 अप्रैल 2002 के जी.एस.आर.सं.262(ई),
बी) 19 अगस्त 2002 के जी.एस.आर.सं.577(ई),
सी) 31 दिसंबर 2002 के जी.एस.आर.सं.855(ई),
डी) 4 अगस्त 2004 के जी.एस.आर.सं.494(ई),
ई) 7 अप्रैल 2005 के जी.एस.आर.सं.221(ई),
एफ) 14 नवंबर 2005 के जी.एस.आर.सं.663(ई),
जी) 19 जनवरी 2006 के जी.एस.आर.सं.28(ई),

एच) 23 जुलाई 2007 के जी.एस.आर.सं.495(ई),

आई) 16 अक्तूबर 2007 के जी.एस.आर.सं.664(ई),

जे) 14 नवंबर 2007 के जी.एस.आर.सं.714(ई),

के) 15 फरवरी 2008 के जी.एस.आर.सं.91(ई),

एल) 23 जून 2009 के जी.एस.आर.सं.442(ई),

एम) -----------2012 के जी.एस.आर.सं.........(ई) और

एन) -----------2012 के जी.एस.आर.सं.........(ई).

RESERVE BANK OF INDIA

(Foreign Exchange Department)

(Central Office)

NOTIFICATION

Mumbai, the 19th October, 2012

Foreign Exchange Management (Deposit) (Third Amendment) Regulations, 2012

G.S.R. 798(E).—In exercise of the powers conferred by clause (f) of Sub-section (3) of Section 6, Sub-section (2) of Section 47 of the Foreign Exchange Management Act, 1999 (42 of 1999) the Reserve Bank of India makes the following amendments in the Foreign Exchange Management (Deposit) Regulations, 2000 (Notification No. FEMA 5/2000-RB dated May 3, 2000) (hereinafter referred to as 'the Principal Regulations') namely:—

1. Short Title & Commencement

(i) These Regulations may be called the Foreign Exchange Management (Deposit) (Third Amendment) Regulations, 2012.

(ii) They shall be deemed to have come into force from the 16th day of July 2012@.

2. Amendment of Regulation 2

In the Foreign Exchange Management (Deposit) Regulations, 2000 (Notification No. FEMA.5/2000-RB dated May 3, 2000), in Regulation 2, after sub-regulation (xii), the following new sub-regulation shall be inserted, namely;

"(xii A). 'Qualified Foreign Investor (QFI)' shall have the same meaning as assigned under the Foreign Exchange Management (Transfer or Issue of Security by a Person Resident Outside India) Regulations, 2000;"

3. Amendment of Regulation 5

In the principal Regulations, in Regulation 5, after sub-regulation (3), a new sub-regulation (4) shall be inserted, namely:-

"(4). A Qualified Foreign Investor (QFI) may open a single non-interest bearing Rupee Account with Authorised Dealer in India without the prior approval of the Reserve Bank, for the limited purpose of routing the receipt and payment for transactions relating to

purchase and sale of eligible securities as stipulated by the Reserve Bank, from time to time, subject to the following conditions:

(a) The account shall be funded by inward remittance through normal banking channel and by credit of the sale/redemption/buyback proceeds (net of taxes) and on account of interest payment / dividend on the eligible securities for QFIs.

(b) The funds in this account shall be utilized for purchase of eligible securities for QFIs or for remittance (net of taxes) outside India.

(c) The Qualified Depository Participants (as per the extant SEBI regulations) will operate such non-interest bearing Rupee Accounts on behalf of the QFIs and at the instructions of the QFIs."

[No. FEMA, 243/2012-RB]

RUDRA NARAYAN KAR, Chief General Manager

Foot Note:

(i) @ It is clarified that no person will be adversely affected as a result of the retrospective effect being given to these Regulations.

(ii) The Principal Regulations were published in the Official Gazette vide G.S.R.No.388 (E) dated May 5, 2000 in Part II, Section 3, Sub-section (i) and subsequently amended as under:

(a) G.S.R. No. 262(E) dated April 9, 2002;
(b) G.S.R. No. 577(E) dated August 19, 2002;
(c) G.S.R. No. 855(E) dated December 31, 2002;
(d) G.S.R. No. 494(E) dated August 4, 2004;
(e) G.S.R. No. 221(E) dated April 7, 2005;
(f) G.S.R. No. 663(E) dated November 14, 2005;
(g) G.S.R. No. 28 (E) dated January 19, 2006; and
(h) G.S. R. No.495(E) dated July 23, 2007.
(i) G.S. R. No.664(E) dated October 16, 2007.
(j) G.S.R.No.714(E) dated November 14, 2007
(k) G.S.R.No.91(E) dated February 15, 2008.
(l) G.S.R.No.442(E) dated June 23, 2009.
(m) G.S.R.No._____ dated __________
(n) G.S.R.No.______ dated __________

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.